कार्यालय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग, इलाहाबाद।
पत्रांक–561/15–1, दिनांक, इलाहाबाद, अगस्त 10 2018।

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
विद्युत प्रेषण खण्ड–द्वितीय,
132 के0वी0 उपकेन्द्र तेलियरगंज,
निकट आई0ई0आर0टी0 कालेज,
राजीव नगर, इलाहाबाद।

विषयः–जनपद इलाहाबाद में तेलियरगंज से मिण्टोपार्क के मध्य 132 के.वी0 अंडर ग्राउण्ड विद्युत लाइन बिछाने हेतु लाइन के कोरिडोर में आने वाली 0.298 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भः–उ0प्र0 शासन वन एवं वन्य जीव अनुभाग–2 की पत्र सं0–पी–143/14– 2–2018–800 (27)/2018 दिनांक 03–8–2018 प्रस्ताव सं0– एफ0पी0/यू0पी0/ट्रांस/33687/2018।

उक्त पत्र (छाया प्रति संलग्न) जो आपको भी पृष्ठांकित है का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से प्रस्ताव सं0–एफ0पी0/यू0पी0/ट्रांस/33687/2018 जनपद इलाहाबाद में तेलियरगंज से मिण्टोपार्क के मध्य 132 के.वी0 अंडर ग्राउण्ड विद्युत लाइन बिछाने हेतु लाइन के कोरिडोर में आने वाली 0.298 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में कतिपय शर्तों के साथ सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गयी है।

(1) उक्त सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित शर्तो के अनुपालन में शर्त संख्या–1 के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अर्न्तगत आई0ए0संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र सं0 5–3/2007–एफ0सी0, दिनांक 05–02–2209 के तहत दिये गये निर्देशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) प्रभावित संरक्षित वन भूमि 0.298 हे0 का रू0 6.26 लाख प्रति हेक्टेयर की दर से (6.26 x 0.298= 186548.00) धनराशि रू0 186548.00 की धनराशि कैम्पा निधि नई दिल्ली में ई–पेमेण्ट से आनलाइन पोर्टल के माध्यम से जमा की जायेगी।

(2) शर्त संख्या–2 के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इलाहाबाद वन प्रभाग में क्षतिपूरक वृक्षारोपण के अर्न्तगत प्रभावित संरक्षित वन भूमि के दो गुने अवनत (0.298x2=0.596) अर्थात 0.596 हे0 पर वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों के रख रखाव हेतु पूर्व में आवश्यक धनराशि रू0 592274.00 कैम्पा निधि में ई–पेमेण्ट से आनलाइन पोर्टल के माध्यम से जमा की जायेगी।

SDO III
Put up als
10/8/18

(3) शर्त संख्या–3 के अनुसार प्रस्तावक के व्यय पर प्रस्तावित स्थल के आस पास रिक्त पड़े स्थानों पर 100 पौधों का वृक्षारोपण एवं दस वर्षों तक रख रखाव हेतु आवश्यक धनराशि रू0 7662.00 प्रति पौध की दर से धनराशि रू0 766200.00 होगी जिसे कैम्पा निधि में ई–पेमेण्ट से आनलाइन पोर्टल के माध्यम से जमा की जायेगी।

(4) शर्त संख्या–4 के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकारण के तदर्थ निकाय के ई पोर्अल पर पर ई चालान के माध्यम से कारपोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम), नयी दिल्ली में जमा कराया जायेगा।

Sri Tshi.. JE
for n/a
SDO III

(5) शर्त संख्या–5 के अनुसार मक डिस्पोजल योजना प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा स्वीकृत कराकर भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय को प्रेषित की जायेगी एवं प्रयोक्ता अभिकरण इसके लिये धनराशि उपलब्ध करायेगा।

(6) वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

(7) नोडल अधिकारी उ0प्र0 द्वारा प्रत्येक माह की 5 तारीख तक इस तरह की जारी अनुमति की रिपोर्ट, क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार को प्रेषित करेगें।

(8) प्रस्तावक विभाग परियोजना स्थल के आस पास के फ्लोरा (वनस्पति)/फौना (वन्य जीव) के हानि के जिम्मेदार होंग, अतः प्रस्तावक विभाग फ्लोरा फौना के संरक्षण हेतु हर सम्भव उपाय करेंगे।

(9) प्रत्यावर्तित भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जायेगा। किसी अन्य प्रयोजन हेतु भूमि का उपयोग वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन माना जायेगा। यदि भूमि के उपयोग में कोई परिवर्तन आवश्यक हो तो नोडल अधिकारी द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार से अनुरोध किया जायेगा तथा भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

(10) प्रस्तावक विभाग के सम्बंधित अधिकारी, कर्मचारी अथवा ठेकेदार या उक्त व्यक्तियों के अधीन या उनसे सम्बंधित कोई भी व्यक्ति किसी भी वन सम्पदा को क्षति नही पहुंचायेगे और यदि उक्त व्यक्तियों से वन सम्पदा को कोई क्षति पहुंचती है तो उसके लिए सम्बंधित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा निर्धारित प्रतिकर प्रस्तावक विभाग पर बाध्यकारी होगा।

(11) उक्त वनभूमि प्रस्तावक विभाग के उपयोग में प्रश्नगत अवधि के अन्दर तब तक रहेगी जब तक कि प्रस्तावक को उसकी उक्त हेतु आवश्यकता रहें। यदि प्रस्तावक को उक्त वनभूमि अथवा उसके किसी भाग की आवश्यकता न रहेगी तो यथास्थिति उक्त वन भूमि अथवा उसका ऐसा भाग जो प्रस्तावक विभाग के लिए आवश्यक न रहें, वन विभाग, उ0प्र0 सरकार को बिना किसी प्रतिकर का भुगतान किये यथास्थिति वापस प्राप्त हो जायेगी।

(12) भारत सरकार के पत्र संख्या–5–3/ 2007–एफ0सी0(पीटी), दिनांक 19.08.2010 तथा पत्र संख्या–J-11013/41/2006-IA-II(I) दिनांक 02 दिसम्बर, 2009 के अनुसार प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्होनें, यदि लागू है तो कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व सक्षम स्तर से पर्यावरणीय अनापत्ति/ अनुमोदन तथा वन्य जीव की दृष्टि से स्टैंडिंग कमेटी ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ से अनुमोदन अलग–अलग प्राप्त कर लिया गया है।

(13) उक्त के अतिरिक्त समय–समय पर क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, लखनऊ अथवा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर दिये गये निर्देशों/शर्तो, जो वनों के संरक्षण, सुरक्षा व विकास के लिये आवश्यक हो, का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा।

(14) राज्य सरकार द्वारा जारी अनुमति भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय अनुश्रवण के अधीन होगी।

(15) प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा यह अण्डरटेकिंग देना होगा कि यदि इस अवधि की एन0पी0वी0 संशोधित होती है तो बढी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण को जमा करना होगा।

(16) यदि प्रश्नगत परियोजना राष्ट्रीय उद्यान/वन्य जीव विहार/प्रोटेक्टेड एरिया के बाहर अवस्थित है। यदि प्रश्नगत भूमि सेन्चुरी/ नेशनल पार्क में सम्मिलित है, तो मा0 उच्चतम न्यायालय से अलग से अनुमति प्राप्त करने की कार्यवाही कर ली गयी है।

(17) समस्त वैधानिक/प्रशासनिक अनापत्ति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(18) उपरोक्त के अतिरिक्त समय–समय पर केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/मा0 न्यायालयों द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा।

(19) इस सम्बन्ध में प्रस्तावक विभाग को भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश दिनांक 13.02.2014 में उल्लिखित समस्त शर्तों का अनुपालन करना होगा।

(20) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली के पत्रांक 11–9/98–एफ.सी, दिनांक 08–07–2011 में दिये गये दिशा निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किये हुये भू–संदर्भित डिजिटल डाटा/मानचित्र प्रस्तुत करें, जिसमें वन सीमाओं को विशेष डाटा (shp) फाइल में दर्शाया गया हो।

(21) प्रयोक्ता अभिकरण वन अधिकार अधिनियम 2006 के अर्न्तगत सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा कि वन अधिकार अधिनियम के अर्न्तगत प्रस्तावित वन भूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है एवं आदिम जन जाति /प्रारम्भिक कृषक समुदाय के हित प्रभावित नहीं होते हैं।

(22) भारत सरकार, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नयी दिल्ली के आदेश सं0–7–25/2012–एफ.सी, दिनांक 05 मई 2014 में उल्लिखित दिशा निर्देश का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा।

(23) उपरोक्तानुसार निर्गत सैद्धांतिक स्वीकृति में उल्लिखित समस्त शर्तों का/प्रतिबन्धों के अनुपालनार्थ प्रभागीय निदेशक द्वारा स्थलीय निरीक्षण कराकर सत्यापन सम्बन्धी प्रमाण पत्र के साथ ही अनुपालन आख्या प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाय तदोपरान्त सुसंगत प्रमाण पत्र के आधार पर ही विधिवत स्वीकृति निर्गत की जायेगी।

अतः आप उपरोक्तानुसार बिन्दुवार अनुपालन आख्या उपलब्ध करायें ताकि प्रकरण में अग्रेतर कार्यवाही की जा सके।

(वाई0पी0 शुक्ला)
प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
इलाहाबाद।

पत्रांक /समदिनांक।

प्रतिलिपि मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि मुख्य वन संरक्षक, दक्षिणी क्षेत्र, उ0प्र0 इलाहाबाद को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सा0वा0,उ0प्र0 इलाहाबाद को सूचनार्थ प्रेषित।

(वाई0पी0 शुक्ला)
प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
इलाहाबाद।